Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/एल.आर./3905/2003/बाड़मेर

1. श्रीमती वरजू धर्मपत्नी रामूराम
2. भागीरथ पुत्र रामूराम
3. श्रीमती श्रवण पुत्री रामूराम
4. श्रीमती एलवी पुत्री रामूराम
5. किशनाराम पुत्र हरदास
6. श्रीमती मूमल धर्मपत्नी हरदास
7. हरीदास पुत्र फगलूराम
8. मंगलाराम पुत्र फगलूराम
9. कौशलाराम पुत्र कानाराम
10. मंगलाराम पुत्र कानाराम
11. पेमाराम पुत्र कानाराम
12. पूनमाराम पुत्र कानाराम
13. भाखराराम पुत्र कानाराम
14. रामजीवन पुत्र कानाराम

समस्त जाति विश्नोई, निवासी गडरा (धोरीमना), तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. बलवन्ताराम पुत्र हरजी राम
2. हरजीराम पुत्र भैराराम (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–

1.1 खंगारा
1.2 मंगला
1.3 भगवाना
1.4 तुलसा
} पुत्रगण स्व0 हरजीराम विश्नोई

1.5 तुलसी पुत्री हरजीराम
सभी जाति विश्नोई, निवासी गडरा (गुडामालानी), तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर।

3. पुरखाराम पुत्र भैराराम, जाति विश्नोई, निवासी गडरा (गुडामालानी), तहसील धोरीमना, जिला बाडमेर।
4. ग्राम पंचायत, धोरीमना द्वारा सरपंच, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।

–– अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थित :–
(1) श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
(2) श्री बसन्त विजयवर्गीय, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।
(3) श्री अजीत पहाड़िया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निगरानी/एल.आर./3905/2003/बाड़मेर
श्रीमती वरजू एवं अन्य बनाम बलवन्ताराम एवं अन्य

निर्णय

दिनांकः 21 मई, 2018

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03-7-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या 33/1999 को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29-6-1999 को खारिज किया है।

2- निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार तहसील गुड़ामालानी के गांव धोरीमना के खसरा नं0 718 (18.17 बीघा), 263 (36.03 बीघा), 295 (45.14 बीघा) कुल किता-3 कुल रकबा 100.14 बीघा राजस्व रिकार्ड में भैरा पुत्र मोती 1/3 हिस्सा, हरजी, पुरखा पुत्र भैरा 1/3 हिस्सा, फगलू पुत्र गुलाब-मंगला-कोहला-पेमा-पूनमा-भाखरा-रामजीवन पुत्रगण काना 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज थे। भैरा पुत्र मोती ने संयुक्त खाते की भूमि में से खसरा नं0 718 रकबा 18.17 बीघा (जिसे निर्णय में वादग्रस्त भूमि कहा गया है), का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20-7-1977 वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 बलवन्ताराम पुत्र हरजीराम को कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 को ग्राम पंचायत, धोरीमना ने क्रेता/अप्रार्थी संख्या-1 के नाम से स्वीकृत कर दिया। इंतकाल संख्या 406 में खसरा नं0 718 की 18.17 बीघा भूमि बलवंताराम पुत्र हरजीराम के नाम दर्ज की गई तथा शेष भूमि में से विक्रेता भैरा पुत्र मोती का हिस्सा कम करते हुए खसरा नं0 263 (36.03 बीघा) तथा खसरा नं0 295 (45.14 बीघा) कुल किता-2 कुल रकबा 81.17 बीघा भूमि भैरा पुत्र मोती 7/41 हिस्सा, हरजी-पुरखा पुत्र भैरा 17/41 हिस्सा, फगलू पुत्र गुलाब-मंगला-कोहला-पेमा-पूनमा-भाखरा-रामजीवन पुत्रगण काना 17/41 हिस्सा अंकित किया गया। इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 के विरूद्ध अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी संख्या 1 से 4 के

निगरानी/एल.आर./3905/2003/बाड़मेर
श्रीमती वरजू एवं अन्य बनाम बलवन्ताराम एवं अन्य

पिता/पति रामूराम ने एक अपील संख्या 22/1999 शीर्षक रामूराम बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत, धोरीमना आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत की कि खातेदार भैरा पुत्र मोती ने उसे एक रजिस्टर्ड गोदनामा से गोद लिया है। इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 समस्त सह-काश्तकारान की बिना सहमति के भूमि बैचान होने के उपरांत स्वीकृत किया गया है। भैरा पुत्र मोती का खसरा नं0 718 रकबा 18.17 बीघा में केवल 1/3 हिस्सा था, जबकि उसके द्वारा खसरा नं0 718 रकबा 18.17 बीघा संपूर्ण भूमि का विक्रय किया गया है। इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 से अपीलांट/प्रार्थी का खसरा नं0 263 व 295 में हिस्सा कम कर दिया गया है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 को निरस्त किया जावे। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी ने अपने निर्णय दिनांक 29-6-1999 के द्वारा अपील स्वीकार कर इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 को निरस्त कर दिया तथा खसरा नं0 718 में क्रेता/वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज करते हुए शेष भूमि पूर्वानुसार 1/3 - 1/3 हिस्सा दर्ज करने के आदेश संबंधित तहसीलदार को दे दिये। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के निर्णय दिनांक 29-6-1999 से व्यथित होकर क्रेता/वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा द्वितीय अपील संख्या 33/1999 शीर्षक बलवंताराम बनाम रामूराम विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 03-7-2003 के द्वारा अपील स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के निर्णय दिनांक 29-6-1999 को खारिज कर दिया। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03-7-2003 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की मुख्य बहस यह है कि खसरा नं0 718 रकबा 18.17 बीघा भूमि में भैरा पुत्र मोती का 1/3

हिस्सा था, इसके विपरीत भैरा पुत्र मोती ने खसरा नं0 718 रकबा 18.17 बीघा संपूर्ण भूमि का विक्रय क्रेता/वर्तमान अप्रार्थी संख्या-1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20-7-1977 के द्वारा कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 ग्राम पंचायत, धोरीमना द्वारा विधि के विपरीत स्वीकृत किया गया है। सह-काश्त की भूमि को भूमि का विभाजन किये बिना सह-काश्तकार किसी विशेष खसरा का विक्रय नहीं कर सकता। भैरा पुत्र मोती द्वारा खसरा नं0 718 की 18.17 बीघा भूमि में से केवल 1/3 हिस्से का विक्रय किया जा सकता था। इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 से अपीलांट/प्रार्थीगण का शेष खसरा नं0 263 एवं 295 में से हिस्सा कम हो गया है। विधि विपरीत इंतकाल को खारिज करने में विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-6-1999 किसी भी प्रकार से विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के निर्णय दिनांक 29-6-1999 के विरूद्ध क्रेता/वर्तमान अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 33/1999 को विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है। अपील को स्वीकार करने का एकमात्र आधार यह लिया गया है कि गोदपत्र, जो अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी संख्या-1 से 4 के पिता/पति के पक्ष में निष्पादित किया गया है, रिकार्ड पर नहीं होना बताया गया है, जबकि गोदनामा के संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा ऐतराज नहीं किया गया था। संयुक्त खाते की भूमि का विक्रय सहकाश्तकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-7-2003 विधि विपरीत होने के कारण निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-7-2003 को निरस्त किया जावे।

5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की मुख्य बहस यह है कि खसरा नं0 718, 263 एवं 295 कुल किता-3 कुल रकबा 100.14 बीघा भूमि में से 1/3 हिस्सा भैरा पुत्र मोती का था। भैरा पुत्र मोती ने अपना 1/3 हिस्सा में से खसरा नं0 718 रकबा 18.17

बीघा भूमि का विक्रय अन्य सह–काश्तकार पुरखा पुत्र भैरा, पूनमा पुत्र काना की सहमति से किया है। पुरखा पुत्र भैरा, पूनमा पुत्र काना विक्रय पत्र दिनांक 20–7–1977 के गवाहान है। सह–काश्तकार की भूमि विक्रय करने के संबंध में ऐतराज केवल अन्य सह–काश्तकार ही कर सकते है। वर्तमान प्रकरण में अन्य सह–काश्तकारान द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया है। इस प्रकरण में ऐतराज केवल भैरा पुत्र मोती के दत्तक पुत्र द्वारा इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23–11–1978 के विरूद्ध लगभग 21 वर्ष पश्चात किया गया है। पिता द्वारा किये गये विक्रय को चुनौती उसके पुत्र द्वारा नहीं दी जा सकती है, उक्त कृत्य धारा 115, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 **"Law of Estoppel"** के सिद्धांत से बाधित है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–6–1999 विधि विपरीत होने के कारण विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपील संख्या 33/1999को अपने निर्णय दिनांक 3–7–2003 के द्वारा स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए निगरानी खारिज की जावे।

6– निगरानी के जैरकार रहते प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, जाप्ता दीवानी इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/पति रामूराम को भैरा पुत्र मोती ने रजिस्टर्ड गोदनाम से गोद लिया था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत अपील में किसी भी पक्षकार द्वारा गोद के बिन्दु पर कोई ऐतराज नहीं किया था, परन्तु विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपील को निर्णित करने में इस बिन्दु पर निर्णय पारित किया कि गोदनामा पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, जाप्ता दीवानी के साथ असल गोदनाम प्रस्तुत किया जा रहा है। इस गोदनामे को रिकार्ड पर लिया जावे।

7– इस प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, जाप्ता दीवानी को निर्णित किया जाना आवश्यक है। उभय पक्ष की बहस उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के समक्ष अपील संख्या

22/1999 तथा द्वितीय अपील संख्या 33/1999, जो विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, में किसी भी पक्षकार द्वारा गोद के बिन्दु पर ऐतराज नहीं किया गया है। गोदनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है। रजिस्टर्ड गोदनामा को रिकार्ड पर लेने से किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत गोदनामा को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8- इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि खसरा नं0 718, 263 एवं 295 कुल किता 3 कुल रकबा 100.14 बीघा भूमि में भैरा पुत्र मोती का 1/3 हिस्सा था। इस बिन्दु पर भी कोई विवाद नहीं है कि भैरा पुत्र मोती ने अपना 1/3 हिस्सा में से खसरा नं0 718 रकबा 18.17 बीघा का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20-7-1977 को वर्तमान अप्रार्थी संख्या-1 को कर दिया। इस बिन्दु पर भी कोई विवाद नहीं है कि विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 क्रेता बलवंतराम के नाम से ग्राम पंचायत, धोरीमना ने स्वीकृत कर दिया। इस बिन्दु पर भी कोई विवाद नहीं है कि इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 को अन्य सह-काश्तकारान द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 के विरूद्ध प्रथम अपील संख्या 22/1999 विक्रेता भैरा पुत्र मोती के दत्तक पुत्र द्वारा लगभग 21 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की गई है। इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 को भैरा पुत्र मोती ने अपने जीवनकाल में चुनौती नहीं दी है, जब भैरा पुत्र मोती ने अपने जीवनकाल में इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 को चुनौती नहीं दी है तो भैरा पुत्र मोती का दत्तक पुत्र 21 वर्ष पश्चात इंतकाल संख्या 406 दिनांक 23-11-1978 को चुनौती देने हेतु सक्षम नहीं है। एक सह-काश्तकार द्वारा किसी विशेष हिस्से की भूमि के विक्रय को चुनौती केवल अन्य सह-काश्तकार द्वारा ही दी जा सकती है। जिस व्यक्ति ने विक्रय किया, वह अथवा उसके प्रतिनिधि अपने कृत्य का फायदा नहीं उठा सकता है। धारा 115, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के **"Law of Estoppel"** के सिद्धांत से से भैरा पुत्र मोती के गोदपुत्र रामूराम बाधित है। धारा 115,

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के **"Law of Estoppel"** के सुसंगत तथ्य निम्नानुसार है :-

> **"When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing."**

9- धारा 115, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत भैरा पुत्र मोती का दत्तक पुत्र अपने पिता के कृत्य को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी ने अपील संख्या 22/1999 को निर्णित करते समय धारा 115, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान को नजरअंदाज किया है। इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिनांक 03-7-2003 पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है।

10- फलस्वरूप, हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य